न्यायालय तहसीलदार (सदर) कानपुर नगर।

वाद सं0–778 / 13–14,

रतन कालोनाइजर्स प्रा0लि0 बनाम श्रीमती बीना निगम आदि

धारा–34 / 35 एल0आर0 एक्ट ।

मौजा–नारामऊ बांगर कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विकीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इस्तहार जारी किये गये जो बाद तामीली शामिल पत्रावली हैं। किसी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुयी। वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। विकीत भूमि पर वादी का ही कब्जा व दखल है। विकेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विकीत भूमि के0डी0ए0, सीलिंग, भूदान, पट्टा आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को पढ़ा। पत्रावली में उपलब्ध मूल बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विकय किया जाना सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ। अतः वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम नारामऊ बांगर की खतौनी वर्ष 1415–1420फ0 के खाता सं0 97 की आराजी संख्या 36मि0 रकवा 0.083हे0 के जुज रकवा 407 वर्गगज मालगुजारी 60ख से विकेती श्रीमती वीना निगम पत्नी स्व0 श्याम नरायन निगम व सुबीर निगम व संजीव कुमार निगम व सुबोध निगम पुत्रगण स्व0 श्याम नरायन निगम निवासीगण म0नं0 112 / 368 आर्य नगर कानपुर नगर द्वारा मुख्तारआम प्रेम कुमार बाजपेयी पुत्र शिव कुमार बाजपेयी निवासी ग्राम राम नगर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दिनॉक 30–10–13 के आधार पर केता रतन कालोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 113 / 70 स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धंनजय तिवारी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवारी निवासी केयर आफ 113 / 70 स्वरूप नगर कानपुर नगर का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात किया जावे। वाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

दिनॉक:– 01/02/2014

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर।

6452

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

सत्यमेव जयते
INDIA

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

कोषागार, का... नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478491 D 478491

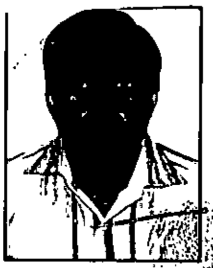

8088

कार्यालय का नाम उप निबन्धक, जोन नं. 2, कानपुर नगर

(1) प्रस्तुत दिनांक : 18–10–2013

(2) निष्पादन दिनांक : 30–10–2013

(3) लेखपत्र का प्रकार : विक्रय पत्र

6492

भाग 1

(स्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

क्रम संख्या

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 3-7-94

प्रकार

का नाम

की धनराशि 1ब 1145

ट्रीकरण शुल्क Ri 6423/9611

प्रति करण शुल्क 100502

ण या तलाश शुल्क

रनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क

ान शुल्क

ध

त्रक भत्ता

तक का योग 100502

सूल करने का दिनाँक

जब से लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने

तैयार होगा 30/10/93

करण अधिकारी के हस्ताक्षर

लोया आसामीसि. ३६ लि. मौजा नारामपुर वाराह खस्थ

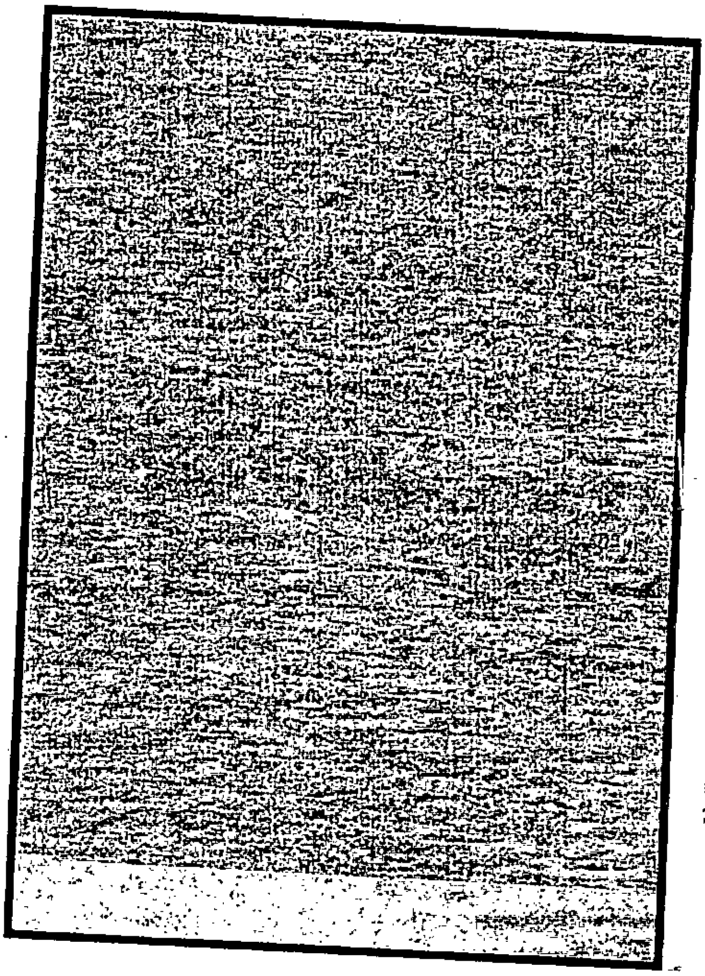

Prem Baj[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

कोषागार, कानपुर नगर 20 26 OCT 2013

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478501

(4) प्रतिफल : रूपया 11,93,000/-

(5) बाजारी मूल्य : रूपया 44,23,796/-

(6) प्रस्तुतकर्ता/विक्रेतागण के नाम व पता : (1) श्रीमती वीना निगम वयस्क पत्नी स्वर्गीय श्याम नरायन निगम (2) सुबीर निगम (3) संजीव कुमार निगम व (4) सुबोध निगम वयस्क पुत्रगण स्वर्गीय श्याम नरायन निगम सभी निवासीगण मकान नम्बर 112/368 आर्य नगर, कानपुर नगर द्वारा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार, कानपुर नगर

28 OCT 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478500

मुख्तारआम प्रेम कुमार बाजपेयी पुत्र स्वर्गीय शिव कुमार बाजपेयी निवासी ग्राम राम नगर, तहसील व जिला कानपुर नगर

(7) क्रेता / किसके पक्ष में : रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 113 / 70, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी केयर आफ 113 / 70, स्वरूप नगर कानपुर नगर (अधिकृत द्वारा प्रस्ताव जो बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1–10–2013 को सर्वसम्पत्ति से पारित हुआ)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478499

4

(8) सम्पत्ति का विवरण :

(1) स्थान	: ग्राम नारामऊ बांगर, परगना व तहसील जिला कानपुर नगर
(2) खाता नं0 / चक नं0	: खाता संख्या 00097 की आराजी संख्या 36 मि. क्षेत्रफल 0.0830 हेक्टयर का जुज भाग क्षेत्रफल 407 वर्गगज अर्थात 340.292 वर्गमीटर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000 Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 478498

(3) आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं है

(4) सीमा में सड़क की चौड़ाई : चारो ओर कृषि भूमि है

(5) प्रयोजन : आवासीय

(6) भवन के तलों की संख्या : x

(7) निर्माण : x

(8) निर्माण अवधि : x

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत

रु. 25000
पच्चीस हजार रुपये

25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

कोषागार, कानपुर नगर
20
26
उप कोषाधिकारी/कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478497

(9) सीमाओं का विवरण :

खाता संख्या 00097 की आराजी संख्या 36 मि. क्षेत्रफल 0.0830 हेक्टयर का जुज भाग क्षेत्रफल 407 वर्गगज अर्थात 340.292 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर, परगना व तहसील जिला कानपुर नगर की सीमायें

उत्तर : क्रेता की भूमि तत्पश्चात् 15 फिट चौडी सड़क

दक्षिण : क्रेता की भूमि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478496

	पूरब	: जुज भाग आराजी
	पश्चिम	: क्रेता की भूमि
(10)	निर्धारित किराया	: x
(11)	अनुमानित किराया	: x
(12)	भवन / भूखण्ड / कृषि भूमि	: कृषि भूमि, जिसपर कोई निर्माण नहीं है, कार्नर का नहीं है और जिसके सामने पार्क नहीं है परन्तु उक्त का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478495

8

मूल्यांकन नियमानुसार आवासीय दर से

किया गया है

(13) सीमा में सड़क की चौड़ाई : सड़क नहीं है

व स्थिति

9. स्टाम्प अदायगी का विवरण :

(1) जिलाधिकारी दर भूखण्ड : रूपया 13,000/-प्रति वर्गमीटर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 470494

मूल्यांकन सूची के अनुसार वी कोड संख्या 1194 है

(2) निर्धारित किराया : X

(3) आच्छादित क्षेत्र के लिये : X

निर्माण दर

(4) भूमि का मूल्य : 340.292 X 13,000/ =

44,23,796/--रूपया

(5) निर्माण का मूल्य : X

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार, कानपुर नगर

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478493

(6) अवमानित मूल्य : x

(7) जिलाधिकारी दर से देय : रूपया 3,09,680/-

स्टाम्प देयता

(8) कुल दिया गया स्टाम्प : रूपया 3,09,700/-

भारत गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

कोषागार, कानपुर नगर

260

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 478492

11

विक्रय–पत्र

(1) श्रीमती वीना निगम वयस्क पत्नी स्वर्गीय श्याम नरायन निगम (2) सुधीर निगम (3) संजीव कुमार निगम व (4) सुबोध निगम वयस्क पुत्रगण स्वर्गीय श्याम नरायन निगम सभी निवासीगण मकान नम्बर 112/368 आर्य नगर, कानपुर नगर द्वारा मुख्तारआम प्रेम कुमार वाजपेयी पुत्र स्वर्गीय शिव कुमार वाजपेयी निवासी ग्राम राम नगर, तहसील व जिला कानपुर नगर

......विक्रेतागण / प्रथमपक्ष

एवं

रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है एवं जिसका कार्यालय 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर में स्थित है द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

1.10.2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 918459

निवासी केयर आफ 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर (बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 1–10–2013 में पारित प्रस्ताव के द्वारा उपरोक्त धनंजय तिवारी को इस विक्रय पत्र को निष्पादित करने हेतु अधिकृत किया गया है)

..........'क्रेता' / द्वितीयपक्ष

(पक्षों का तात्पर्य उनके उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों आदि से है) ।

विदित हो कि विक्रेतागण खाता संख्या 00097 की आराजी संख्या 36 मि० क्षेत्रफल 0.0830 हेक्टयर का जुज भाग क्षेत्रफल 407 वर्गगज अर्थात 340.292 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 932267

के स्वामी, मालिक, काबिज दखील हैं । भूमि उपरोक्त विक्रेतागण की विरासतन सम्पत्ति है और विक्रेतागण/प्रथमपक्ष का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर आराजी उपरोक्त पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और प्रथम पक्ष ही आराजी उपरोक्त पर काश्त करते व लगान आदि अदा करते चले आ रहे हैं । प्रथम पक्ष के अलावा आराजी उपरोक्त का कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है जो कि आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है, कहीं किसी तौर पर दीगर जगह रहन व बय व बन्धक आदि नहीं है और प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

2 4 OC 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 932268

को आराजी उपरोक्त को विक्रय करने से किसी न्यायालय के निषेधाज्ञा आदेश द्वारा रोका नहीं गया है और आराजी उपरोक्त किसी की डिक्री में कुर्क व बरसरे नीलाम आदि नहीं है और आराजी उपरोक्त में कोई इल्लत इनकम टैक्स व सेल टैक्स व बैंक लोन या सीलिंग आदि की नहीं है और आराजी उपरोक्त किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं है और अर्जन सम्बन्धी कोई नोटिस आज दिन तक प्रथम पक्ष को किसी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है । आराजी उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार की देनदारी आदि से पाक व साफ है और समस्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 932269

अधिकार मालिकाना बाबत आराजी उपरोक्त प्रथम पक्ष को हासिल है । यदि उपरोक्त बातों के विपरीत कोई बात पायी जावे तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी ।

यह भी विदित हो कि प्रथमपक्ष ने अपनी आराजी भूमि उपरोक्त के सम्बन्ध में एक मुख्तारनामा आम प्रलेख दिनांक 18–11–2009 जिसका पंजीयन बही संख्या चार जिल्द संख्या 324 के पृष्ठ संख्या 255 से 264 में क्रम संख्या 411 पर दिनांक 18–11–2009 को कार्यालय उप निबन्धक जोन–2 कानपुर नगर में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 934499

हुआ है जिसके द्वारा प्रेम कुमार बाजपेयी पुत्र स्वर्गीय शिव कुमार बाजपेयी निवासी ग्राम रामनगर तहसील व जिला कानपुर को अपना मुख्तारआम बनाया एवं आराजी उपरोक्त को विक्रय करने, विक्रयपत्र निष्पादित करने व विक्रयमूल्य प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया है मुख्तारनामाआम उपरोक्त आज दिन तक वैध व प्रभावी है अर्थात निरस्त नहीं किया गया है और श्रीमती वीना निगम सुबीर निगम व संजीव कुमार निगम व सुबोध निगम आज दिन तक जीवित हैं । और मुख्तारनामा उपरोग्क्त में प्राप्त अधिकारों के आधार पर मुख्तारआम को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 934500

विक्रेतागण की आराजी भूमि उपरोक्त को विक्रय आदि करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

यह भी विदित हो कि प्रथम पक्ष को इस वक्त रूपये की आवश्यकता है और आराजी उपरोक्त के विक्रय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्राप्ति रूपया का नजर नही आता है अतः प्रथमपक्ष ने आराजी उपरोक्त के विक्रय करने की बाबत बात चीत की और प्रथम पक्ष की आराजी उपरोक्त के हर प्रकार से पाक व साफ होने व तनहा अपनी मिल्कियत होने का यकीन व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

2 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 750901

इत्मीनान दिलाने पर द्वितीय पक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी केयर आफ 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर बकीमत मुबलिग 11,93,000/– ग्यारह लाख तिरानबे हजार रुपया में खरीद करना स्वीकार किया है कीमत निहायत उचित व बाजार भाव है और इससे अधिक कीमत कोई निकट भविष्य में देने को तैयार नहीं है।

अतः खाता संख्या 00097 की आराजी संख्या 36 मि. क्षेत्रफल 0.0830 हेक्टयर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

2 OCT 2013

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 750902

का जुज भाग क्षेत्रफल 407 वर्गगज अर्थात 340.292 वर्गमीटर स्थित ग्राम नारामऊ बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर को मय समस्त अधिकारों के मय दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा सबके सब को बजरूरत जायज मजकूरे वाला बिलएवज मुबलिग 11,93,000/– रूपया में बदस्त द्वितीयपक्ष रतन कालोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता धनंजय तिवारी वयस्क पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी निवासी केयर आफ 113/70, स्वरूप नगर कानपुर नगर के बय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

2 OCT 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 750903

कर्ई किया और फरोख्त कर डाला और कुल विक्रय धन नीचे लिखे विवरणानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिया अब कोई पैसा बावत विक्रय धन जिम्मे खरीदार द्वितीय पक्ष पाना बाकी नहीं रहा और न आयन्दा को होगा और विक्रीत आराजी को प्रथम पक्ष ने अपने कब्जा व दखल मालिकाना से निकाल कर बीच कब्जा व दखल मालिकाना खरीदार द्वितीय पक्ष को दे दिया ।

खरीदार द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि विक्रीत आराजी को जिस प्रकार से चाहे अपने प्रयोग में लावें, रहन व बय व हिबा व वसीयत आदि करें, किराये पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

2 ... 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 750904

उठायें अथवा काश्त करें व करायें, जिस प्रकार से चाहें अपने उपयोग व उपभोग में लावें । यदि विक्रीत आराजी अथवा उसका कोई अंश द्वितीयपक्ष के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जाये या उसकी बाबत आज दिन तक की बाबत कुछ अदा या सर्फ करना पड़े या कोई मुकदमा बसिलसिले मिलकियत लड़ना पड़े तो खरीदार द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान को अधिकार होगा कि अपना कुल या जुज विक्रय धन जैसी कि सूरत हो प्रथम पक्ष की चल व अचल सम्पत्ति से द्वारा न्यायालय वसूल कर लेवे और द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार, कानपुर नगर (20)

15 OCT 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 360468

22

खरीदार उपरोक्त को अधिकार है कि विक्रीत आराजी पर अपना नाम भू राजस्व विभाग के अभिलेखों में अंकित करा लेंवे प्रथम पक्ष की रजामन्दी वास्ते दाखिल खारिज द्वारा बयनामा हाजा समझी जावे और यदि कोई आवश्यकता बाबत दाखिल खारिज प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर व बयान आदि की होगी प्रथम पक्ष देने के पाबन्द होंगे और समस्त शरायत विक्रय पत्र की पावन्दी उभय पक्ष व उनके वारिसान व कायम मुकामान पर लाजिम व वाजिब होगी और पाबन्द रहेंगे ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15 OCT 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BT 912226

अतः बखूबी सुन व समझ व पढ़कर अपने होशहवास की दुरुस्ती में विना किसी के सिखलाये व समझाये व बरगलाये व बिला दाब नाजायज किसी के अपनी राजी खुशी से यह विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

विक्रय धन प्राप्ति का विवरण

मुबलिग 11,93,000/- रूपया नगद प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिया है एवं कोई भी विक्रयमूल्य पाना शेष नहीं रहा ।

आयकर स्थाई लेखा संख्या :

विक्रेता संख्या (1) : आयकर दाता नहीं है

विक्रेता संख्या (2) : आयकर दाता नहीं है

विक्रेता संख्या (3) : आयकर दाता नहीं है

विक्रेता संख्या (4) : आयकर दाता नहीं है

क्रेता : AADCR7537F

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

20 15 OCT 2008 कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BT 912227

गवाहान :–

(1)

विक्रेता / प्रथम पक्ष

(2)

क्रेता / द्वितीय पक्ष

प्रारूप अपने कार्यालय में तैयार कर
मुद्रित कराया

(अरविन्द कुमार श्रीवास्तव)
एडवोकेट
कोर्ट कम्पाउण्ड, कानपुर नगर ।

SITE PLAN OF PVT. PLOT SITUATED AT PART RAZI NO. 3[illegible] NARAMAU BANGAR

TAHSIL KANPUR SADAR, DIST. KANPUR NAGAR.

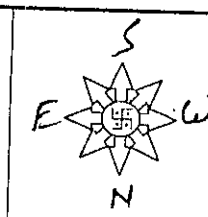

SOLD PLOT AREA :- 407.0 Sq. Yds. 340.29 Sq. Mts.

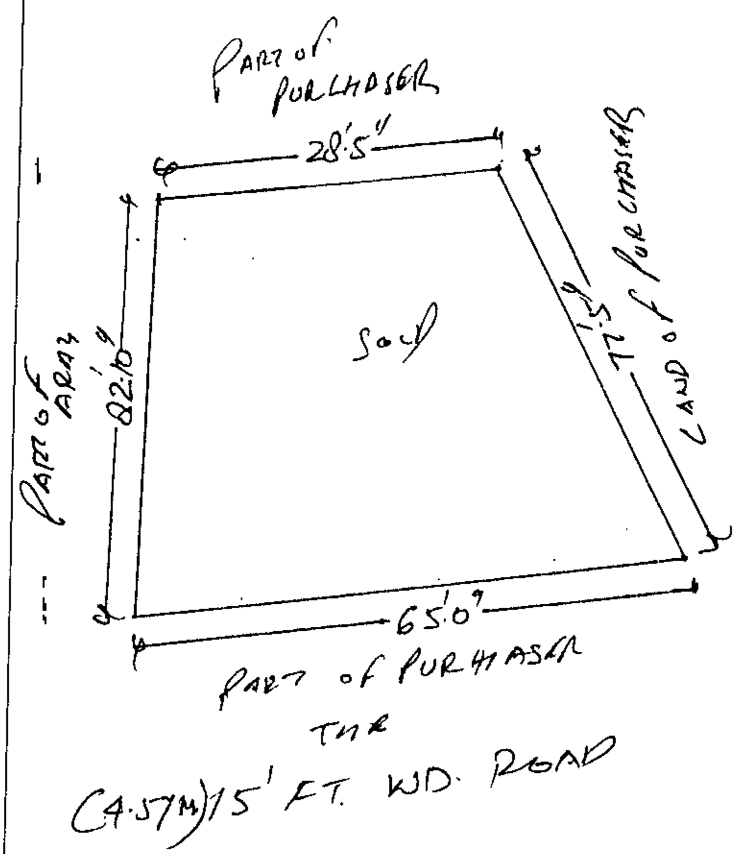

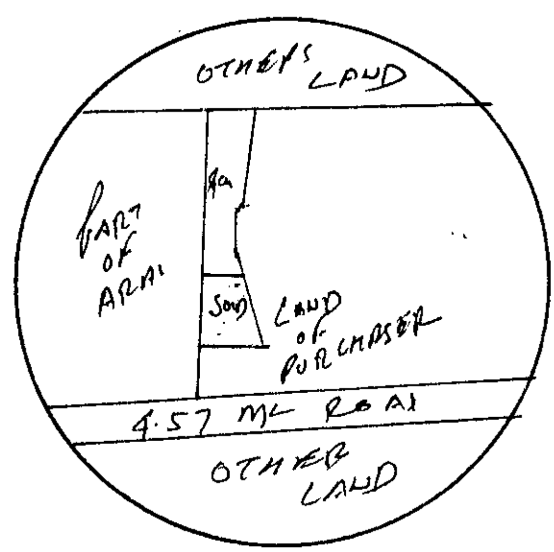

Location Plan

Sd./- of Seller	Sd./- of Purchaser	
(signature, thumb impression)	(signature)	K. K. Srivastava D/Man APP. New Hanuman Temple Civil Court Compound Kanpur Nagar

न्यायालय तहसीलदार
वाद सं. 778/13-14
आदेश दि० 01-02-14
वापसी दि० 17-2-14

आज दिनांक **30/10/2013** को

वही सं **1** जिल्द सं. **6276**

पृष्ठ सं. **377** से **426** पर क्रमांक **6492**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वन्दना सिंह
उपनिबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
30/10/2013